कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा (राज.)

क्रमांक–सामान्य / 2020 / 48 दिनांक : 18.12.2020

:: आदेश ::

दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 14 सपठित धारा 15(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **माह दिसम्बर 2020** के निम्नांकित राजकीय अवकाशों में भीलवाडा जिला न्यायक्षेत्र में उत्पन्न होने वाले आवश्यक आपराधिक प्रकरणों यथा रिमाण्ड, जमानत, मृत्युकालीन कथन, मृत्यु समीक्षा एवं अन्य आवश्यक कार्य यथा प्रोटोकॉल आदि के लिए इस कार्यालय द्वारा जारी पूर्व आदेश कमांक 43 दिनांक 02.12.2020 की निरन्तरता में कॉलम संख्या (2) में अंकित न्यायिक अधिकारीगण को उनके नाम के आगे कॉलम संख्या (4) में अंकित अवकाश की तिथि को अपने मुख्यालय पर उपस्थित रहकर प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक अपने न्यायालय में बैठकर एवं नियत तिथि के पूर्ववर्ती कार्यदिवस को कार्यालय समय पश्चात से पश्चातवर्ती कार्य दिवस को कार्यालय समय पूर्व तक मुख्यालय पर रहकर और यदि किसी कारण से नियत तिथि से पूर्ववर्ती या पश्चातवर्ती कार्य दिवस का अवकाश घोषित होता है, तो संबंधित अधिकारी को मुख्यालय पर रहकर उक्तानुसार ही उक्त कार्य सम्पादित करने के लिए अधिकृत किया जाता है

क्र.सं.	नाम अधिकारी व मोबाईल नम्बर	पद नाम	दिनांक
2.	श्री राकेश कुमार 84326.94218	विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट, एन.आई.एक्ट प्रकरण सं02, भीलवाडा	25.12.2019 से 27.12.2020
4.	श्रीमती अनुपमा भटनागर 86961.06500	न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम–01, भीलवाडा	01.01.2021

नोटः– उपरोक्त दोनो अधिकारीगण के अंकित दिनांक को अनुपस्थित रहने की दशा में माननीय सैशन न्यायाधीश महोदय भीलवाडा द्वारा पारित आदेश क्रमांक 313 दिनांक 15.12.2020 में अंकित लिंक अधिकारीगण द्वारा कार्य संपादन किया जायेगा ।

Sd/-
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
भीलवाडा

क्रमांक–सामान्य / 2020 / 2108. दिनांक : 18.12.2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, भीलवाडा।
2. श्रीयुत् जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाडा को प्रतिलिपि प्रेषित कर लेख है कि सभी थानाधिकारियों को रिमाण्ड व अन्य आवश्यक न्यायिक कार्यों के लिए उपर्युक्त दिनांक में अनिवार्यतः प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 01:00 तक न्यायालय में ही पंहुचने के लिए निर्देशित करने हेतु।
3. जिला आबकारी अधिकारी, भीलवाडा को प्रेषित कर लेख है कि अपने अधीन कार्यरत वृत्त निरीक्षक / प्रहराधिकारी / भारसाधक अधिकारी, आबकारी थाना को रिमाण्ड व अन्य आवश्यक न्यायिक कार्यों के लिए उपर्युक्त दिनांक में अनिवार्यतः प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 01:00 तक न्यायालय में ही पंहुचने के लिए निर्देशित करने हेतु।
4. संबंधित न्यायिक अधिकारी / न्यायालय श्री ....

6. अध्यक्ष, जिला अभिभाषक संस्था, भीलवाडा।
7. प्रभारी अधिकारी, पुलिस नियत्रंण कक्ष, भीलवाडा।
8. प्रभारी अधिकारी वायरलेस, भीलवाडा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश की संसूचना सभी आरक्षी केन्द्र को दें।
9. सिस्टम अधिकारी, कम्प्यूटर शाखा, जिला न्यायालय, भीलवाडा को प्रेषित कर लेख है कि वह उक्त आदेश को जिला न्यायालय की website पर upload करें।
10. कार्यालय प्रति।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
भीलवाडा